

Ref. No. ई-अन्नदाता/स्मार्ट फार्मिंग/2609/603

Date 05/09/2026

प्रेषक,

ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया
मुख्य कार्यालय, उ०प्र०

सेवा में,

समस्त राष्ट्रीय / मल्टिपल राज्य/ राज्य, जिला, सब-जिला सहभागी,
समस्त ई-अन्नदाता, केयर सेंटर एवं कैटीन स्टोर,
समस्त भारत।

विषय- विकसित भारत-ई-अन्नदाता स्मार्ट फार्मिंग अभियान 2047 के अंतर्गत देशभर की 19,500 ग्राम सभाओं से किसानों/किसान आश्रितों का चयन कर स्मार्ट फार्मिंग, ड्रोन प्रशिक्षण एवं कृषि अवसंरचना वित्तीय सहायता से जोड़ने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किसानों को आधुनिक एवं डिजिटल कृषि तकनीक से जोड़ने, कृषि कार्यों में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा किसान परिवारों के आश्रितों के लिए स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर विकसित करने के उद्देश्य से “विकसित भारत-ई-अन्नदाता स्मार्ट फार्मिंग अभियान-2047” संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत पूरे भारत में 19,500 पात्र किसानों/किसान आश्रितों को चरणबद्ध रूप से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान का विशेष उद्देश्य एक ग्राम सभा से एक पात्र लाभार्थी का चयन करने का प्रयास करना है, जिससे देश की 19,500 ग्राम सभाओं तक प्रशिक्षित मानव संसाधन एवं किसान ड्रोन आधारित आधुनिक कृषि सेवाओं की उपलब्धता विकसित की जा सके। चयनित पात्र लाभार्थियों को निर्धारित नियमों एवं उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार 35-40% तक लागू सब्सिडी/वित्तीय सहायता से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। स्मार्ट फार्मिंग प्रशिक्षण के साथ पात्र अभ्यर्थियों को ड्रोन प्रशिक्षण हेतु संबंधित DGCA-अधिकृत प्रशिक्षण व्यवस्था से जोड़ा जाएगा, जिससे निर्धारित प्रशिक्षण एवं पात्रता पूर्ण करने पर नियमानुसार Remote Pilot Certificate (RPC) प्राप्त किया जा सके।

इसी क्रम में पात्र किसानों/लाभार्थियों को कृषि अवसंरचना के विकास हेतु भारत सरकार की Agriculture Infrastructure Fund (AIF) योजना से जोड़ने एवं आवश्यकतानुसार बैंक ऋण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किया जाएगा। AIF के अंतर्गत पात्र ऋण पर भारत सरकार के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार 3% प्रति वर्ष तक ब्याज सहायता (Interest Subvention) का प्रावधान है। ऋण, ब्याज सहायता एवं अन्य लाभ संबंधित योजना की पात्रता, बैंक की स्वीकृति तथा समय-समय पर लागू सरकारी दिशा-निर्देशों के अधीन होंगे।

अतः समस्त राष्ट्रीय/मल्टिपल राज्य/राज्य, जिला, सब-जिला सहभागी, ई-अन्नदाता केयर सेंटर एवं ई-अन्नदाता कैटीन स्टोर को निर्देशित किया जाता है कि अपने निर्धारित क्षेत्र में पात्र किसानों/किसान आश्रितों को अभियान की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका विवरण निर्धारित प्रारूप में संकलित करें तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि एक ग्राम सभा से एक ही पात्र लाभार्थी का चयन हो, जिससे अभियान का लाभ अधिक से अधिक ग्राम सभाओं तक पहुंचाया जा सके। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल आवेदन अथवा विवरण जमा करने से प्रशिक्षण, प्रमाण-पत्र, ऋण अथवा सब्सिडी की स्वीकृति सुनिश्चित नहीं होगी। अंतिम चयन एवं लाभ दस्तावेज सत्यापन, पात्रता, उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता, संबंधित बैंक/विभाग की स्वीकृति तथा लागू सरकारी नियमों के अनुसार ही प्रदान किए जाएंगे।

अभियान का मूल उद्देश्य “हर चयनित ग्राम सभा तक आधुनिक कृषि तकनीक एवं किसान ड्रोन की पहुँच, डिजिटल खेती को बढ़ावा तथा किसान परिवारों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन” करना है।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं पात्र लाभार्थियों के चयन/पंजीकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त राष्ट्रीय सहभागी।
2. समस्त मल्टिपल राज्य सहभागी।
3. समस्त राज्य सहभागी।
4. समस्त जिला/सब-जिला सहभागी।
5. समस्त केयर सेंटर।
6. समस्त कैटीन स्टोर।
7. संबंधित कार्यालय अभिलेख हेतु।

आदेशानुसार

अधिकृत अधिकारी
ई-अन्नदाता वेलफेयर एंड डेवलपमेंट
ऑफ इंडिया

“गौरवान्वित किसान- विकसित भारत”

विज़न- 2047